an>

Title: Need to remove charges levied on withdrawals from ATMs and maintenance of minimum balance in bank accounts.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) ः 1 मार्च से देश भर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने 3 और 5 से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने पर ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज लेना शुरू कर दिया है और बैंकों के नए नियम के मुताबिक अलग-अलग बैंक अलग-अलग ट्रांजेक्शन पर कई तरह से चार्ज लगा रही है इसके साथ ही साथ बैंक ऐसे सर्विस पर भी चार्ज लगाने लगी है जो कि पहले फ्री थी।

इसके साथ ही साथ बैंक ग्राहकों द्वारा मिनीमम बैंलेंस 5000 रूपये खाते में रखने का नियम बना चुकी है जहां एक ओर सरकार जनधन खाता खोल रही है वही बैंक अपनी मनमर्जी से चार्ज लगा रही है। इसके साथ ही साथ बैंक डिजीटल पेमेंट करने पर अलग से चार्ज लगाती है और इससे देश भर के बैंक ग्राहक बहुत नाखुश और रोष में हैं।

अतः सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देकर इस प्रकार बैंकों द्वारा लगाये जा रहे ट्रांजैक्शन चार्ज और मिनीमम बैंलेंस को समाप्त किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दें ताकि बैंक अपने इन नियमों को समाप्त करें।